

प्रेषक,

सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

नैशनल बालिक जूहा स्कूल कुतुम्बेडा
हल्द्वानी नैनीताल ।

पत्रांक/ 5853-59 /मान्यता/2000-2001 दिनांक 8 मार्च 2001

विषय:- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के बारे में ।

महोदय,

शासनादेश संख्या 217/15-6-92-18एस॥7॥/89 दिनांक 11-5-1992 एवं संशोधित शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18एस॥7॥/89 दिनांक 13 अगस्त 1997 में दिए गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है ।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे ।

प्रधानाध्यापक-	1 एक
सहायक अध्यापक-	4 चार
लिपिक-	1 एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मी-	1 एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तरांचल बेसिक शिक्षा परिषद/अधोहस्ताक्षरी को होगा।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।

पृ० सं०/

/मान्यता/ 2000-2001 दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर शिक्षा निदेशक उत्तरांचल, 2 सुभाष मार्ग सचिवालय परिसर ब देहरादून ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद/देहरादून ।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमाऊँ मण्डल ।
4. लेखाधिकारी कार्यालय जि० बे० शि० अ० नैनीताल
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल
6. उप जि० बे० शि० अ० / शिक्षा अधिकारी नैनीताल
कार्यालय सुरक्षित पंजिका ।

सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।